87

नि/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3141

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , सर्किट कोर्ट रीवा ,

जिला-रीवा (म०प्र०)

Rs-301

दयाशंकर पिता इन्द्रजीत राम ब्रा०, नि० ग्रा० अमांव , थाना चाक तहसील- त्योंथर , जिला-रीवा (म०प्र०) ----निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

(1) राजेन्द्र प्रसाद (तीनों के पिता परमेश्वरदीन , नि०
(2) शिवप्रसाद (ग्रा० अमांव , थाना- चाक, तह० त्योंथर,
(3) जगदीश प्रसाद (जिला-रीवा (म०प्र०)
(4) शिवशंकर (तीनों के पिता छेदीलाल ब्रा०,
(5) शिवाकान्त , (तीनों नि० ग्रा० अमांव , थाना-चाक, तहसील-
(6) रमाकान्त (त्योंथर, जिला- रीवा (म०प्र०)

-----गैरनिगरानीकर्ता/अना०गणं

अधि० श्री बी० पी० तिवारी द्वारा पेश/ 06-9-17

कलर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक-चाक, तह० त्योंथर, जिला-रीवा (म०प्र०) द्वारा प्रक० क्र0- 157/अ-12/16-17 में पारित आदेश दि0 10-07-17.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० सं० 1959ई०

महोदय,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं:

(1) यह कि मातहत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि, प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्यायसिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

(2) यह कि आवेदक/निगरानीकर्ता वादित आराजी का सरहद्दी भूमिस्वामी है तथा आवेदक एवं अना०गण की स्वत्व , आधिपत्य की सम्पूर्ण आराजी आबादी गांवठान के रूप में दर्ज अभिलेख है तथा मौके पर उभय पक्षों के पुस्तैनी मकान बने हुए हैं एवं वादित आराजी के उत्तरी भाग में सामने से ग्रामीण कच्चा रास्ता निकलता है। अना०गण गांव के काफी सरहंग एवं पैसेवाले

क्रमश:.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन / निग. / रीवा / भू.रा. / 2017 / 3141

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री बी. पी. तिवारी उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक–चाक तहसील त्यौंथर, जिला–रीवा म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 151 / अ–12 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 10.07.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनावेदक क0 1 द्वारा अपने आराजी क0 118 / 1 रकबा 0.039 हे0 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा सरहद्दी कास्तकारों को सूचना पत्र जारी किया तथा स्थल पंचनामा तैयार किया जाकर कोई आपत्ति नहीं आने पर दिनांक 10.07.17 को आदेश पारित किया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा एवं नक्शा की छाया प्रति प्रस्तुत कर यह बताया गया है कि आवेदक सरहद्दी कास्तकार होते हुए भी उसको सूचना नहीं दी। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि सूचना पत्र में एवं पंचनामा में आवेदक के हस्ताक्षर एवं सूचना नहीं दी गई है। इससे स्पष्ट है कि धारा 129 के प्रावधानों का राजस्व	

निरीक्षक द्वारा उल्लंघन किया गया है। आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया । इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक का आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

3– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक–चाक तहसील त्यौंथर, जिला–रीवा म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 151 / अ–12 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 10.07.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व निरीक्षक चाक तहसील त्यौथर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सरहद्दी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 129 के प्रावधानों के तहत पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

सदस्य